

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 307]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई 2014—आषाढ़ 31, शक 1936

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2014

क्र. 14568-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, दंड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 18 सन् 2014) जो विधान सभा में दिनांक 22 जुलाई, 2014 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक  
क्रमांक १८ सन् २०१४

दंड विधि ( मध्यप्रदेश संशोधन ) विधेयक, २०१४

विषय सूची

खण्ड :

अध्याय—एक  
प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम.

अध्याय—दो  
भारतीय दंड संहिता का संशोधन

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८६० का ४५ का संशोधन.
३. धारा २७२ का संशोधन.
४. धारा २७३ का संशोधन.
५. धारा २७४ का संशोधन.
६. धारा २७५ का संशोधन.
७. धारा २७६ का संशोधन.

अध्याय—तीन  
दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ का संशोधन

८. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७४ का २ का संशोधन.
९. प्रथम अनुसूची का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् २०१४

दंड विधि ( मध्यप्रदेश संशोधन ) विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय दंड संहिता, १८६० और दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय—एक

प्रारंभिक

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड विधि ( मध्यप्रदेश संशोधन ) अधिनियम, २०१४ है.

संक्षिप्त नाम.

अध्याय—दो

भारतीय दंड संहिता का संशोधन

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, भारतीय दंड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) (जो इसमें इसके पश्चात् दंड संहिता के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८६० का ४५ का संशोधन.

३. दंड संहिता की धारा २७२ में, शब्द “वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा,” के स्थान पर, निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

धारा २७२ का संशोधन.

“वह आजीवन कारावास से, जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना दंडित किया जाएगा :

परन्तु न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले पर्याप्त एवं विशेष कारण से ऐसे कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो.”

४. दंड संहिता की धारा २७३ में, शब्द “वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा”, के स्थान पर, निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

धारा २७३ का संशोधन.

“वह आजीवन कारावास से, जुर्माने के साथ अथवा जुर्माने के बिना दंडित किया जाएगा:

परन्तु न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले पर्याप्त एवं विशेष कारण से, ऐसे कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो.”

५. दंड संहिता की धारा २७४ में, शब्द “वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास

धारा २७४ का संशोधन.

तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा”, के स्थान पर, निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“वह आजीवन कारावास से, जुर्माने के साथ अथवा जुर्माने के बिना दंडित किया जाएगा:

परन्तु न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले पर्याप्त एवं विशेष कारण से, ऐसे कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो.”

धारा २७५ का संशोधन.

६. दंड संहिता की धारा २७५ में, शब्द “वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा”, के स्थान पर, निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“वह आजीवन कारावास से, जुर्माने के साथ अथवा जुर्माने के बिना दंडित किया जाएगा:

परन्तु न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले पर्याप्त एवं विशेष कारण से, ऐसे कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो.”

धारा २७६ का संशोधन.

७. दंड संहिता की धारा २७६ में, शब्द “वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा”, के स्थान पर, निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“वह आजीवन कारावास से, जुर्माने के साथ अथवा जुर्माने के बिना दंडित किया जाएगा:

परन्तु न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले पर्याप्त एवं विशेष कारण से ऐसे कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो.”

### अध्याय—तीन

### दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७४ का २ का संशोधन.

८. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) (जो इसमें इसके पश्चात् दण्ड प्रक्रिया संहिता के नाम से निर्दिष्ट है), को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

प्रथम अनुसूची का संशोधन.

९. दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में, शीर्षक “१—भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध” के अधीन, धारा २७२ से २७६ तक से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

धारा	अपराध	दंड	संज्ञेय या असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)

“२७२	विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का ऐसा अपमिश्रण जिससे वह अपायकर बन जाए.	आजीवन कारावास, जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना.	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
------	--	---	---------	----------	---------------

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
२७३	खाद्य और पेय के रूप में किसी खाद्य और पेय को, यह जानते हुए कि वह अपायकर है, बेचना.	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
२७४	विक्रय के लिए आशयित किसी औषधि या भेषजीय निर्मित का ऐसा अपमिश्रण जिससे उसकी प्रभावकारिता कम हो जाए या उसकी क्रिया बदल जाए या वह अपायकर हो जाए.	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
२७५	किसी औषधि या भेषजीय निर्मित को, जिसके बारे में ज्ञात है कि वह अपमिश्रित है बेचने की प्रस्थापना करना या औषधालय से देना.	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
२७६	किसी औषधि या भेषजीय निर्मित को भिन्न औषधि या भेषजीय निर्मित के रूप में, जानते हुए, बेचना या औषधालय से देना.	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त. ''.

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक १५९ सन् २०१२, स्वामी अच्युतानंद तीर्थ तथा अन्य विरुद्ध भारत संघ व अन्य में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों में सिन्थेटिक तथा हानिप्रद सामग्रियों का अपमिश्रण करने और उनके देश में निर्वाह रूप से चल रहे विक्रय पर टिप्पणी की है. अपमिश्रित दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों का उपभोग मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है तथा इससे कैंसर भी हो सकता है. यह स्थिति स्वास्थ्य संबंधी अत्यन्त गंभीर खतरों की ओर संकेत करती है. यद्यपि बहुत से मामलों में अभियोजन भी किया गया है जिनमें केवल छह मास का अधिकतम दंडादेश होता है. विक्रय के लिए आशयित खाद्य तथा पेय में अपमिश्रण के अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य ने दंडादेश में वृद्धि करते हुए आजीवन कारावास तथा साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा २७२ को संशोधित किया है. पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में भी इसी प्रकार के संशोधन किए गए हैं. अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के संशोधन किए जाएं.

२. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में यह विनिश्चित किया गया है कि भारतीय दंड संहिता, (१८६० का ४५) की धारा २७२ को, उसके मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, दंडादेश को, जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना आजीवन कारावास तक बढ़ा कर संशोधित किया जाए. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों के ही समान यह भी विनिश्चित किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा २७३, २७४, २७५ तथा २७६ को भी संशोधित किया जाए ताकि इन्हें धारा २७२ में विनिर्दिष्ट दंडादेश के समरूप बनाया जा सके. धारा २७३ के अधीन अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय, धारा २७४ के अधीन ओषधियों का अपमिश्रण, धारा २७५ के अधीन अपमिश्रित औषधियों का विक्रय तथा धारा २७६ के अधीन औषधि का भिन्न ओषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय के अपराध भी लोक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराध हैं.

३. भारतीय दंड संहिता की धारा २७२ से २७६ तक में प्रस्तावित संशोधनों के कारण दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) की प्रथम अनुसूची को उसके मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में पारिणामिक रूप से संशोधित किए जाने का विनिश्चय किया गया है ताकि इन गंभीर अपराधों को संज्ञेय, अजमानतीय तथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय बनाया जा सके.

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख १७ जुलाई, २०१४.

कुसुम सिंह महदेले  
भारसाधक सदस्य.